कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, रांची–834002 E-mail-pccfjharkhand@yahoo.co.in Phone-0651-2481909 / 2480413

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्याः 22 पी 2(2) 4/2017 220 दिनांक : 24.11.17

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं0 202/1995 में दिनांक 05.10.2015 को पारित न्यायादेश में निहित निदेशों के अनुपालन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (सर्वेक्षण एवं उपयोग प्रभाग), भारत सरकार के संकल्प सं0 का0 आ0 3456 (अ) दिनांक 11.11.2016 एवं तदोपरान्त संशोधित संकल्प सं0 का0आ0 3000 (अ) दिनांक 11.09.2017 द्वारा संसूचित काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) दिशा–निर्देश के आलोक में काष्ठ आधारित उद्योगों के विनियमन हेतु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 1055 दिनांक 09.03.2017 द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक दिनांक 17.11.2017 में भारत सरकार के दिशा निर्देश, 2016 (यथा संशोधित वर्ष 2017) की कंडिका–8(i) के प्रावधानों के आलोक में काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञप्ति नवीकरण की शक्ति संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारियों (अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त निर्णय के आलोक में राज्य में वैध रूप से संचालित काष्ठ आधारित उद्योगों के अनुज्ञप्ति नवीकरण की शक्ति संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों (अनुज्ञप्ति पदाधिकारियों) को प्रत्यायोजित की जाती है।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक– 22 पी 2(2) 4/2017 दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, रांची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची/सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/सभी वन संरक्षक/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी को भारत सरकार के संशोधित दिशानिर्देश 2017 की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।

ज्ञापांक– 22 पी 2(2) 4/2017 5137 दिनांक– 24.11.17

प्रतिलिपिः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का कोषांग/ Envis Cell का Website पर upload करने हेतु प्रेषित।

24/11/17

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, रांची।